–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 50/2024

उनवान

1. प्रेम पत्नी महावीर,
2. टीना,
3. हितेश,
4. ममता पि0 महावीर प्रार्थी 3 से 4 ना.बा. जरियें माता प्रेम समस्त जाति रावत नि0 धोलादांता न्यारा, नसीराबाद

—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. हीरा दत्तक पुत्र मोती,
2. घासीराम पुत्र मोती,
3. उमी पत्नी घासीराम,
4. हंजा पत्नी हीरा,
5. कमला
6. सेठा,
7. सीमा पुत्रिया हीरा जाति रावत नि0 धोलादांता न्यारा, नसीराबाद
8. उप पंजीयक, नसीराबाद,
9. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 से 7 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
8 व 9 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :–

दिनांक :– 12.2.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम धोलादांता न्यारा में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सह खातेदारी/सह काश्तकारी की भूमि स्थित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

चौसाला ख. न0.	रकबा	वंकिंग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
308	1–12–10	912 मिन	0.13	1053	0.13
		912 मिन	0.13	1054	0.13
851	0–6–0	356	0.05	[illegible]	0.05
616	0–7–0	519 मिन	0.04	[illegible]	0.04
		519 मिन	0.02	[illegible]	0.02
960	2–10–3	681	0.10	826	0.10
309	2–0–0	911 925	0.16 0.10	1055	0.26

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:31:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

587	2–16–0	491	0.17	575	0.17
586	1–0–0	491 / 1119 मिन	0.07	576	0.07
578	0–15–10	490	0.12	577	0.12
578	0–15–10	489	0.12	578	0.12
587	2–16–0	492	0.16	579	0.22
		492 / 1120	0.06		
587	2–16–0	493	0.13	580	0.13
586	1–0–0	491 / 1121	0.06	581	0.06
241	0–14–10	853	0.09	1003	0.09
4	3–7–0	4	0.54	4	0.54
5	0–3–10	5	0.03	5	0.03
		784 मिन	0.01	893	0.01
		784 मिन	0.11	894	0.11
189	5–10–10	779 मिन	0.08	896	0.08
190	3–13–0	778 मिन	0.15	897	0.15
192	4–1–0	774 मिन	0.25	898	0.25
		768	0.16	901	0.16
		767 मिन	0.17	902	0.17
		767 मिन	0.08	903	0.08
198	4–6–0	737 मिन	0.14	904	0.14
		767 मिन	0.30	905	0.30
197	0–17–0	772 मिन	0.07	906	0.07
		772 मिन	0.07	907	0.07
195	0–15–0	770	0.12	908	0.25
196	0–16–0	771	0.13		
191	1–1–0	775	0.20	911	0.20
192	4–1–0	774 मिन	0.23	912	0.23
				913	0.11
				914	0.07
190	3–13–0	778 मिन	0.16	915 / 1380	0.16
189	5–10–10	776	0.21	917	0.21
189	5–10–10	780	0.08	918	0.23
		781	0.08		
		779 मिन	0.07		
189	5–10–10	779 मिन	0.23	919	0.23
189	5–10–10	779 मिन	0.09		0.09
189	5–10–10	782 मिन	0.16		0.16
189	5–10–10	782 मिन	0.09		0.09
188	16–3–0	785	0.10	923	0.21
		786	0.11		
188	16–3–0	787	0.12	924	0.12
188	16–3–0	788	0.11	925	0.11
188	16–3–0	793	0.20	930	0.20

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:31:59 IST
Reason: SelfAttested

		795 मिन	1.30	932	1.30
234 235 236	0–1–0 52–10–0 0–4–10	799	0.04	936	0.04
237	0–6–0	801	0.05	938	0.05
239	0–13–0	803	0.10	940	0.10
230	2–15–10	807 मिन	0.42	944	0.42
226	4–15–0	808	0.77	945	0.77
222	1–17–0	812	0.10	951	0.10
222	1–17–0	813	0.20	952	0.20
222	1–17–0	813 मिन	0.22	953	0.22
222	1–17–0	813 मिन	0.11	954	0.11
		821	0.85	960	0.85
214	5–15–10	822	0.19	961	0.19
214	5–15–10	823 मिन	0.11	962	0.11
214	5–15–10	823 मिन	0.22	963	0.22
214	5–15–10	824	0.28	964	0.28
214	5–15–10	825	0.07	965	0.07
214	2–11–10	826	0.20	966	0.20
214	5–15–10	827	0.41	967	0.41
214	5–15–10	828 मिन	0.06	968	0.06
214 202	5–15–10 8–11–10	828 मिन 795 मिन	0.26 0.01	969	0.27
202	8'–11–0	795 मिन	0.03	970 / 1375	0.03
203	2–10–4	830 मिन 795 मिन	0.13 0.05	971	0.18
203	2–10–4	830 मिन	0.08	972	0.08
203	2–10–4	831 830 मिन	0.19 0.03	973	0.22
213	5–1–10	833 मिन	0.14	975	0.14
213	5–1–10	833 मिन	0.14	976	0.14
213	5–1–10	833 मिन	0.14	977	0.14
212	3–6–0	834	0.18	978	0.18
212	3–6–0	832 841 मिन	0.36 2.10	979 980	0.36 2.10
205	0–13–0	840	0.11	981	0.11
206	0–18–0	839	0.15	982	0.15
208	0–13–0	837	0.11	984	0.11
209	0–13–0	836	0.10	985	0.10
240	3–2–10	842 841 मिन	0.06 0.05	987	0.11
		843	0.44	988	0.44
		844 मिन	0.48	989	0.48
		844 मिन	0.01	990	0.01

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:31:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

845	0–16–10	358	0.13	497	0.13
846	1–5–10	407	0.21	498	0.21
856	5–15–10	411 मिन	0.41	506	0.41
856	5–15–0	144 मिन	0.07	507	0.07
615	2–12–10	518	0.20	544	0.20
941 940	1–0–0 0–12–0	668 मिन 670	0.02 0.10	809	0.12
950	0–14–0	669	0.15	810	0.15
941	0–15–0	672 मिन	0.07	811	0.07
953	0–14–0	673	0.11	812	0.11
941 952	0–15–0 0–15–0	672 मिन 674 मिन	0.05 0.02	813	0.07
952	0–15–0	674 मिन	0.06	814	0.06
956 955 954	3–0–0 0–6–10 52–10–10	676 675 767/1122	0.24 0.07 0.01	816	0.32
969	1–10–0	679	0.24	819	0.24
962	2–10–0	684	0.44	825	0.44
963	2–13–0	685 मिन	0.35	829	0.35

ग्राम धोलादांता न्यारा में स्थित उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण के दादा हीरा पुत्र मोती की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजी है। उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में दिनांक 22.08.20 को दान पत्र कर दिया, जो प्रार्थीगण के हितों पर बातिल व बेअसर है। आराजी मुतनाजा चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2023 से 2026 में प्रार्थीगण के दादा हीरा पुत्र मोती व परदादा मोती पुत्र मादू के नाम है। भूमि पुश्तैनी होने के कारण प्रार्थीगण का भी उक्त आराजी पर हक व हिस्सा निहित है। आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का नाम दर्ज नही होने के कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि खाता संख्या 132/221, 107/101, 81/24 की आराजी अप्रार्थी संख्या 1 हीरा पुत्र मोती के नाम दर्ज है। उक्त खातेदार द्वारा अपनी स्वामित्व की भूमि अप्रार्थी संख्या 3 उमी पत्नी घासीराम की सेवा से प्रसन्न होकर व अपने पालन–पोषण के लिये दिनांक 22.08.23 को स्वैच्छा से पंजीबद्व दान पत्र निष्पादित करवा दिया। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने पत्नी महावीर की मृत्यु के बाद कई वर्ष पूर्व नाता विवाह कर लिया है तथा नाता विवाह स्थान पर निवास कर रही है। नाता विवाह करने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की सपंति हडपने के लिसे उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर पेश किया है। दावाकृत भूमि पर गत 20 वर्षो से अप्रार्थी संख्या 1 से 7 का कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 राजस्व [illegible] भूमि पर प्रार्थीगण को काई हक नही है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज कि[illegible]

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता [illegible] व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:31:59 IST
Reason: SelfAttested

—5

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम धोलादांता न्यारा के खाता संख्या 232/221 किता 16 रकबा 3.00, 81/24 किता 71 रकबा 18.27, 132/121 किता 6 रकबा 0.47, 107/101 किता 8 रकबा 1.18 की आराजी राजस्व अभिलेख में हीरा पुत्र मोती व अन्य व्यक्तियों की खातेदारी में दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार प्रार्थीगण हीरा के पुत्र स्व. महावीर के विधिक वारिस है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में उक्त कथन का खण्डन नही किया है। प्रार्थी संख्या 2 से 3 निर्विवाद रूप से हीरा पुत्र मोती अप्रार्थी संख्या 1 के पौत्र/पौत्री है। चौसाला जमाबंदी में भी उक्त आराजी हीरा पुत्र मोती व मोती पुत्र मादू के नाम दर्ज है। राजस्व अभिलेख से आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण की पैतृक सिद्व होती है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने पुत्र घासीराम की पत्नी उमी अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में एक पंजीबद्व दान पत्र निष्पादित करवाया है। किन्तु भूमि पैतृक होने व प्रार्थीगण हीरा पुत्र मोती के पुत्र स्व. महावीर के विधिक वारिस होने से भूमि पर उनका हक व हिस्सा प्रथम दृष्टया निहित है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नाता विवाह कर लिया गया है किन्तु उक्त तथ्य मूल वाद में साक्ष्य से ही सिद्व होगे। अप्रार्थी संख्या 2 से 3 महावीर पुत्र हीरा की संतान होने का खण्डन अप्रार्थीगण द्वारा नही किया गया है। आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में होने के कारण तथा भूमि खुर्द बुर्द नही हो इसलिये ही प्रार्थीगण द्वारा यह आवेदन पेश किया गया है। प्रकरण मे परिस्थितियों अनुसार मूल वाद के निस्तारण तक भूमि का संरक्षण आवश्यक है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण की पैतृक है, भूमि का संरक्षण नही किया जाता है तो प्रार्थीगण द्वारा वाद पेश करने का उद्देश्य समाप्त हो जायेगा ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम धोलादांता न्यारा के खाता संख्या 232/221 किता 16 रकबा 3.00, 81/24 किता 71 रकबा 18.27, 132/121 किता 6 रकबा 0.47, 107/101 किता 8 रकबा 1.18 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता हैं कि आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से तक राजस्व अभिलेख व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:31:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सीकर